कृषक किस्म पंजीकरण प्रक्रिया

पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001

आर.बी. काले, एम.एस. मीना
पी.पी. रोहिल्ला एवं एस.के. सिंह

2017

भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान
काजरी परिसर
जोधपुर-342 005 (राजस्थान)

अपने देश का कृषक पीढ़ियों से देशी किस्मों तथा भूप्रजातियों से किस्म का चयन और सुधार करता आया है। इस बीज का उपयोग वह अपने खेतों में तथा अन्य किसानों में आदान–प्रदान करता आ रहा है। यह किस्में स्थानीय रूप से अनुकूलित होती है और उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं जैसे कि रोगप्रतिरोधकता, सूखा, लवण प्रतिकारकता तथा औषधीय गुण इत्यादि। यह कृषक किस्में नई किस्मों के लिए महत्वपूर्ण आनुवांशिक संसाधन है। इन किस्मों को बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा प्राप्त कराने के लिए तथा कृषकों के नाम से पंजीकृत करके सुरक्षित करने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने सन् 2001 में पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की स्थापना की। यह अधिनियम सुइजेनरिस अर्थात् अद्वितीय (स्वयंमूल आधारित) माना जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए देश में 11 नवम्बर, 2005 को ''पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण'' की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत नई पौध किस्मों, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों एवं विद्यमान किस्मों का पंजीकरण किया जा सकता है। इसमें 107 नई पौध किस्मों और 114 फसल प्रजातियों का पंजीकरण किया जा सकता है।

किस्म:

किस्म किसी एक वानस्पतिक वर्ग की न्यूनतम ज्ञात श्रेणी है जिसके अंतर्गत सूक्ष्मजीवों को छोड़कर पौधों का समूहीकरण है जिसे निम्नानुसार किया जा सकता है :–

(1) गुणों की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित। ये गुण उस समूहीकरण के दिए गए जीनप्ररुप का परिणाम होते हैं ।

(2) कम से कम एक कथित गुण की अभिव्यक्ति द्वारा पौधे के किसी अन्य समूह से भेद करना और

(3) प्रवर्धन के लिए उपयुक्तता के मामले में ऐसी इकाई के रूप में मानना जो ऐसे प्रवर्धन के बाद भी अपरिवर्तित रहती है और इसमें ऐसी किस्म, विद्यमान किस्म, पराजीनी किस्म, कृषक किस्म और अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म की रोपण सामग्री शामिल है।

अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईडीवी):

वह किस्म जो निम्न में से किसी भी विधि द्वारा विद्यमान किस्म से अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न की गई है ।

(1) आनुवांशिक अभियांत्रिकी

(2) उत्परिवर्तन

(3) ऊतक संवर्धन से व्युत्पन्न

(4) प्रतीप संकर से व्युत्पन्न

(5) कोई अन्य (गुणवत्ता परिवर्तन) आदि

ईडीवी किसी भी आरंभिक किस्म की तुलना में स्पष्ट रूप से प्रभेदनशील है तथा यह अनिवार्य गुणों की अभिव्यक्ति मे आरंभिक किस्म की इस प्रकार पुष्टि करती है (व्युत्पन्नता के कार्य के परिणामस्वरूप भिन्नताओं के अतिरिक्त) कि यह उस आरंभिक किस्म के जीन प्ररुप या संयोग के समरुप होते हैं।

कृषक की परिभाषा :

कृषक वह व्यक्ति है जो:

(1) अपने खेत में खेती करते हुए फसलें उगाता है या

(2) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि की खेती के प्रत्यक्ष अधीक्षण द्वारा फसलें उगाता है या

(3) उपयोगी गुणों के चयन व पहचान के माध्यम से किसी अन्य वन्य प्रजाति अथवा परंपरागत किस्म को स्वयं या मिल–जुलकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संरक्षित व सुरक्षित करता है।

कृषक किस्म :

कृषकों द्वारा उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई और विकसित की जाती है:

ऐसी वन्य संबंधी या भू–प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है:

कृषक किस्म को आवेदन/पंजीकरण शुल्क से छूट प्राप्त है तथा ऐसी किस्म के आवेदन के लिए शुल्क या निर्वंशकरण (टर्मिनेटर) प्रौद्योगिकी के लिए हलफनामे की जरुरत नहीं है।

कृषक किस्म के पंजीकरण की प्रक्रिया

- कृषक/समुदाय अपने किस्म के मुख्य लक्षण सहित रजिस्ट्रार, पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को सामान्य प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं और बीज का नमूना जमा करा सकते हैं।
- आवेदन का प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। (www.plantauthority.gov.in)
- आवेदन पत्र भरने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान/कृषि विज्ञान केन्द्र/गैर सरकारी संगठन की मदद ले सकते हैं।
- आवेदकों को सुविधा प्रदान करने के लिए गुवाहाटी (असम) और रांची (झारखंड) में दो शाखा कार्यालय भी खोले गए हैं।
- कृषक के आवेदन की प्रारम्भिक जांच के बाद आवेदक को किस्म की विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व के लिए डीयूएस परीक्षण कराना पड़ता है। किस्म की बीज को डीयूएस

परीक्षण केन्द्र में भेजा जाता है, कृषक की किस्म का दो स्थानों पर और एक फसल मौसम में परीक्षण किया जाता है।

- डीयूएस परीक्षण परिणाम प्राप्त हुए किस्म के गुण और कृषक के दावा किए गये गुण में समानता पाई जाती है तो उस किस्म का विज्ञापन किया जाता है।
- आवेदन को भारतीय पौध किस्म जरनल में विज्ञापित किया जाता है जिसमें प्रकाशन की तिथि से 3 माह की अवधि तक आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है। यदि कोई आपत्ति दाखिल नहीं होती है तो आवेदन पंजीकरण किया जाता है।

कृषक किस्म पंजीकरण प्रक्रिया

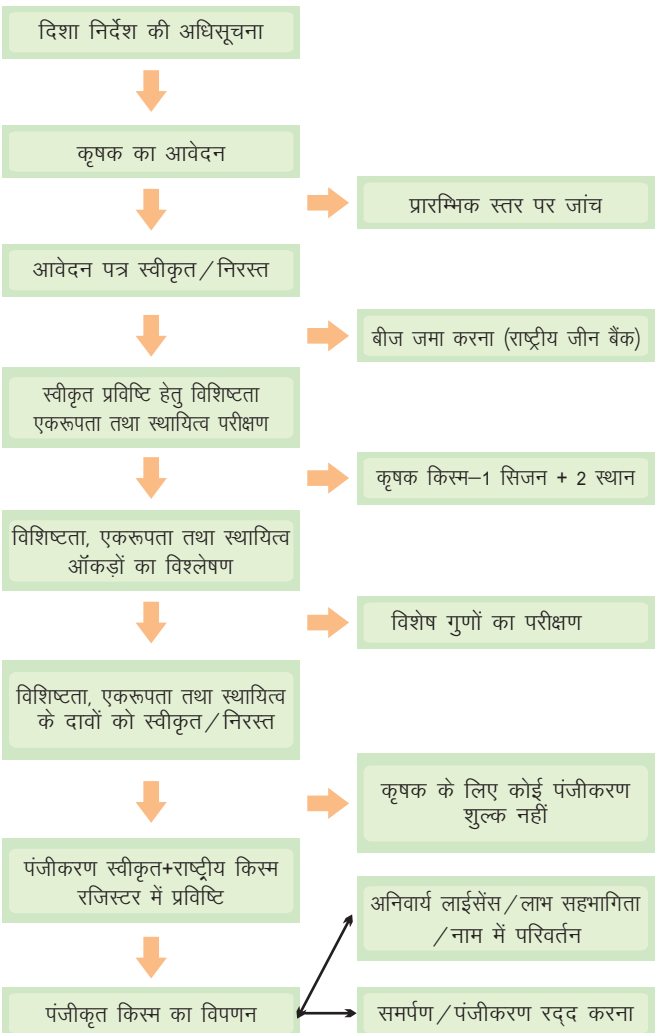

पंजीकृत पौध किस्म की सुरक्षा की अवधि:

1. वृक्ष और लताएं –18 वर्ष
2. अन्य फसलों के लिए –15 वर्ष
3. विद्यमान अधिसूचित किस्मों के लिए – बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष

पंजीकरण के लिए शुल्क	
किस्म का प्रकार	पंजीकरण शुल्क
अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न/नई किस्में/ विद्यमान किस्म जिसके बारे में सामान्य ज्ञान है	व्यक्तिगत 7000/–
	शैक्षणिक 10000/–
	वाणिज्यिक 50000/–
बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म	2000/–
कृषक किस्म	कोई शुल्क नहीं

पौध किस्म के पंजीकरण की लागत :

जिन आवेदनों ने सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं तथा जिन्हें पंजीकार ने पंजीकरण हेतु अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

रजिस्ट्री के मुख्यालय में पौध किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखा गया है जिसमें सभी पंजीकृत पौध किस्मों के नाम, उन्हें प्रजनित करने वाले संबंधित प्रजनकों के पते, पंजीकृत किस्मों के संदर्भ में ऐसे प्रजनकों के अधिकारों, प्रत्येक पंजीकृत किस्म के नाम व विवरण, विशिष्ट गुणों की विशेषताओं के साथ बीज अथवा अन्य रोपण सामग्री का विवरण और अन्य सभी संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं।

प्राधिकरण ने पंजीकृत किस्मों के प्रजनकों द्वारा प्रस्तुत पैतृक वंश सहित बीज सामग्री को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है। राष्ट्रीय जीन बैंक में इस प्रकार बीज जमा होने से बाजार में धोखाधड़ी से छुटकारा मिलेगा अथवा अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।

किसी किस्म के पंजीकरण से संबंधित, एजेंट या लाइसेंसी के रूप में पंजीकरण से संबधित तथा लाभ में भागीदारी, अनिवार्य लाइसेंस को हटाने और क्षतिपूर्ति की अदायगी से संबंधित प्राधिकरण के सभी आदेशों व निर्णयों के विरूद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है।

हर कदम, हर डगर
किसानों का हमसफर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

Agrisearch with a human touch

प्रकाषक : निदेषक भाकृअनुप–कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान, जोधपुर 342005 (राजस्थान)
सपंर्क सूत्र : दूरभाषः +91-0291-2740516, 2748412,
फैक्सः +91-0291-2744367
ई–मेल : zpd6jodhpur@gmail.com
वेबसाइट : www.atarijodhpur.res.in
सम्पादन : आर.बी.काले, एम.एस.मीना, पी.पी. रोहिल्ला एवं एस.के.सिंह

संदर्भः पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
www.plantauthority.gov.in

Evergreen 94141 28647